

ग्राम पंचायत ब्राहलडी, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर, 177026
के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025

भाग-1

1. प्रस्तावना:-

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत ब्राहलडी, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत ब्राहलडी, में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे :

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री अरविंद ठाकुर	01.04.2024 से 31.03.2025

पंचायत सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री मति बिन्दु बाला	01.04.2024 से 31.03.2025

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत ब्राहलडी, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.24 से 31.03.25 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	6.1	अनुदानों का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	8.98
2	7.1	पंचायत का गृहकर/ सम्पत्ति कर वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.01
3	7.2	विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाना	0.01
4	8.1	आपूर्तिकर्ताओं से क्रय की गई निर्माण सामग्री के ट्रांजिट फॉर्म प्राप्त किये बिना अनियमित भुगतान करना	3.37
5	8.2	संविदाकार/आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से नियमानुसार स्रोत पर 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करने के कारण अधिक भुगतान करना	0.37
6	9.1	पत्थर की खरीद में रिक्तियां (voids) की कटौती न करने के कारण अधिक भुगतान करना	0.04
7	9.2	मनरेगा शीर्ष के अंतर्गत करवाए गये निर्माण कार्य हेतु जारी सामग्री के उचित लेखांकन के अभाव में अनियमित/अधिक भुगतान करना	0.05
8	9.3	व्यय के समर्थन में माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	34.02
9	9.4	मनरेगा शीर्ष व 15वें शीर्ष के अंतर्गत करवाए गये निर्माण कार्य हेतु अधिक भुगतान करना	0.02
10	9.5	निविदाओं में निर्धारित दर से अधिक दर से गलत भुगतान करना	0.14

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर पंचायत द्वारा कोई भी ठोस कार्यवाही नहीं की गई थी, जो स्वतः चिंताजनक है। अतः ग्राम पंचायत इन लंबित पैरों के निपटारे हेतु विशेष कार्यवाही करनी सुनिश्चित करे तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाये ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण संभव हो सके :-

(i) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2015 से 03/2018 तक

क्रम संख्या	पैरा संख्या	वर्तमान स्थिति	विवरण
1	3, 4	निर्णीत	विशेष कैंप के दौरान निर्णीत, पत्र संख्या Fin (LA)H(15)(14)324/22 V-1 (Part-ii)-1275 Dated 12.03.2024 की पुष्टि उपरांत
2	5.1, 5.2	निर्णीत	विशेष कैंप के दौरान निर्णीत, पत्र संख्या Fin (LA)H(15)(14)324/22 V-1 (Part-ii)-1275 Dated 12.03.2024 की पुष्टि उपरांत
3	6, 7	निर्णीत	विशेष कैंप के दौरान निर्णीत, पत्र संख्या Fin (LA)H(15)(14)324/22 V-1 (Part-ii)-1275 Dated 12.03.2024 की पुष्टि उपरांत
4	8 (i) 8 (ii)	अनिर्णीत अंशतः निर्णीत	(कुल वसूली हेतु राशि ₹31200/- में से राशि ₹28750 की वसूली व जमा पुष्टि उपरांत तथा राशि ₹2450 वसूली हेतु शेष
5	9, 10	निर्णीत	विशेष कैंप के दौरान निर्णीत, पत्र संख्या Fin (LA)H(15)(14)324/22 V-1 (Part-ii)-1275 Dated 12.03.2024 की पुष्टि उपरांत
6	11	अनिर्णीत	
7	12, 13, 14	निर्णीत	विशेष कैंप के दौरान निर्णीत, पत्र संख्या Fin (LA)H(15)(14)324/22 V-1 (Part-ii)-1275 Dated 12.03.2024 की पुष्टि उपरांत
8	15	निर्णीत	अभिलेखों की जांच व सचिव के उत्तर की पुष्टि तथा तकनीकी सहायक के सत्यापन उपरांत
9	16	अनिर्णीत	
10	17	अनिर्णीत	
11	18	अनिर्णीत	
12	19	अनिर्णीत	
13	20	अनिर्णीत	

14	21 (i-iv) 21(v)	अनिर्णीत निर्णीत	अभिलेखों की जांच, जमा तथा सचिव के उतर की पुष्टि उपरांत
15	22	अनिर्णीत	
16	23	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 10 में पुनः प्रारूपित।
17	24	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 11 में पुनः प्रारूपित।

भाग-2

2. वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत ब्राहलडी, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री अमित कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 28.06.2025 से 04.07.2025 तक ग्राम पंचायत ब्राहलडी के कार्यालय में किया गया। आय-व्यय की विस्तृत जांच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2024-25	03/2025	10/2024

अस्वीकरण (Disclaimer) :- इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत ब्राहलडी, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क **₹4000/-** (15वें वित्तायोग के अवधि 04/2024 से 03/2025 तक के ऑनलाईन ऑडिट के अंकेक्षण शुल्क सहित) आंका गया। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अध्याचना संख्या 124/2025 दिनांक 04/07/2025 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत द्वारा पंजाब नेशनल

बैंक नाल्टी, हमीरपुर के DD NO – XAA 418377 दिनांक 04.07.2025, द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया है।

4. वित्तीय स्थिति:-

सचिव, ग्राम पंचायत ब्राहलडी द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 122/2025 दिनांक 28.06.2025 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 के लेखों की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **सलग्न परिशिष्ट-1** पर दिया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि दौरान (3) ऑनलाइन रोकड़ बहियों अर्थात स्वः स्त्रोत व अनुदान, 15वें वित्तायोग व मनरेगा शीर्ष का रख-रखाव किया गया था।

(1) (क) स्वः स्त्रोत व अनुदान:-

ग्राम पंचायत ब्राहलडी, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक की स्वः स्त्रोत व अनुदान (15वें वित्तायोग रहित) की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित (₹)	कुल योग (2+3) (₹)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (4-5) (₹)
1	2	3	4	5	7
2024-25	1183047.35	1298906.00	2481953.35	1583930.00	898023.35

(ख) 15वें वित्तायोग:-

ग्राम पंचायत ब्राहलडी, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के 15वें वित्तायोग की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित (₹)	कुल योग (2+3) (₹)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (4-5) (₹)
1	2	3	4	5	7
2024-25	829812.30	1406376.00	2236188.30	896709.00	1339479.30

(ग) संकलित वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत ब्राहलडी, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के संकलित वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

निधि	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अंत शेष (₹)
स्व: स्त्रोत व अनुदान	1183047.35	1298906.00	2481953.35	1583930.00	898023.35
15वां वित्तायोग शीर्ष	829812.30	1406376.00	2236188.30	896709.00	1339479.30
मनरेगा	0.00	2967457.70	2967457.70	2967457.70	0.00
संकलित वित्तीय स्थिति	2012859.65	5672739.70	7685599.35	5448096.70	2237502.65

- (2) दिनांक 31.03.25 को ग्राम पंचायत ब्राहलडी, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के बैंक शेषों के अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान	काँगड़ा केंद्रीय सहकारी सीमित बैंक नाल्टी	20005047081	103952.00
2	स्व: स्त्रोत व अनुदान	पंजाब नेशनल बैंक नाल्टी	208300010001545	303477.63
3	स्व: स्त्रोत व अनुदान	पंजाब नेशनल बैंक नाल्टी	2083000101058879	489793.72
4	15 वें वित्तायोग	एच डी एफ सी बैंक हमीरपुर	50100319721837	1339479.30
कुल योग				2236702.65

- (3) दिनांक 31.03.2025 को बैंक समाधान विवरणी पंचायत की वित्तीय स्थिति अनुसार :-

दिनांक 31.03.2025 को वित्तीय स्थिति का अंत शेष		
1	दिनांक 31.03.2025 को रोकड़ बहियों का अंतिम शेष	2237502.65
2	दिनांक 31.03.25 को बैंक खातों का अंतिम शेष	2236702.65
अन्तर		800.00
दिनांक 31.03.2025 को बैंक समाधान विवरणी		
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित) की रोकड़ बही का दिनांक 31.03.2025 को अंतिम शेष	898023.35
2	15वें वित्तायोग की रोकड़ बही का दिनांक 31.03.2025 को अंतिम शेष	1339479.30
3	दिनांक 31.03.2025 को रोकड़ बहियों का कुल अंतिम शेष	2237502.65
4	दिनांक 31.03.2025 को हस्तगत राशि (घटाव)	800.00

6	दिनांक 31.03.2025 को रोकड़ बहियों का शुद्ध अंतिम शेष	2236702.65
7	दिनांक 31.03.25 को बैंक खातों का अंतिम शेष	2236702.65
अंतर		0.00

(4) स्व: स्त्रोत निधि के लिए अलग से रोकड़ बही व बैंक खाते का संचालन न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) की अनुपालना में पंचायत निधियों के स्व: स्त्रोत खाता (क) (स्व: स्त्रोत के लेन देन हेतु) खोला जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित स्व: स्त्रोत निधि की रोकड़ बही व बैंक खाते में कार्यालय व्यय व पंचायत के पदाधिकारियों के वेतन राशि के लेन-देन की प्रविष्टियाँ भी होने के कारण यह पूर्ण रूप से स्व: स्त्रोत निधि (क) की सच्ची एवं सही स्थिति नहीं दर्शाती है, जिसके संदर्भ में अंकेक्षण अध्याचना संख्या 123/2025 दिनांक 03.07.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को स्व: स्त्रोत निधि की रोकड़ बही व बैंक खाते को अलग से संधारित न करने वारे अवगत करवाया गया, जिसकी अनुपालना में प्रतिउत्तर संख्या 17/2025 दिनांक 04.07.2025 द्वारा अंकेक्षण को स्पष्ट किया कि स्व: स्त्रोत (क) की रोकड़ बही को पूर्ण रूप से अलग करके संधारित कर लिया जाएगा।

अतः विभिन्न अनुदानों के सम्मिलित होने के कारण पंचायत की स्व: स्त्रोत (क) की वित्तीय स्थिति को अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाया जाना सम्भव नहीं हो सका तथा भविष्य में स्व: स्त्रोत की रोकड़ बही व बैंक खाते में केवल स्व: स्त्रोत निधि की आय व व्यय (अनुदानों के अतिरिक्त) का लेन-देन करना ही ग्राम पंचायत द्वारा सुनिश्चित किया जाये।

5. सावधिक निवेश :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है, ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के दौरान किसी भी राशि को सावधि जमा में निवेशित नहीं किया गया था, जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास पंचायत निधि (स्व: स्त्रोत) में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अंकेक्षण अध्याचना संख्या 122/2025 दिनांक 28.06.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में प्रतिउत्तर पत्र संख्या 17/2025 दिनांक 04.07.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत का अवधि 04/24 से 03/25 के दौरान सावधि जमा योजना में निवेश शून्य है।

अतः पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वःस्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बही का नियमानुसार रख-रखाव करके, स्वःस्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके।

6. अनुदान

6.1 अनुदान राशि ₹8.98 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना :-

“हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली, 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिंग एजेन्सी की अपेक्षाओं व मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है”।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अध्याचना संख्या 122/2025 दिनांक 28.06.2025 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना जोकि परिशिष्ट-1 पर सलग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2025 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से राशि ₹898023.35 उपयोग हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अंतर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अंकेक्षण अध्याचना संख्या 122/2025 दिनांक 28.06.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर संख्या 17/2025 दिनांक 04.07.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अनुदान राशि का उपयोग कर लिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः शेष अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए नियमानुसार उक्त शेष राशि को निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाये एवं तदनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

“हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान, व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है”।

अंकेक्षण के दौरान प्राप्त विभिन्न अनुदानों के व्यय सम्बन्धी उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत नहीं किये गए, फलस्वरूप अंकेक्षणावधि में कृत व्यय का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 122/2025 दिनांक 28.06.2025 के प्रतिउत्तर की अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र संख्या 17/2025 दिनांक 04.07.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत कर दिए जाएंगे।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही/अनुपालना से शीघ्र अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति अंकेक्षणार्थ उपलब्ध न करवाना :-

“हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान, व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार सचिव, ग्राम पंचायत अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेवार है तथा सचिव, पंचायती राज विभाग, हि०प्र० शिमला-9 के पत्र संख्या पीसीएच-एच ए (5)सी (15)313/89-4614 -4787 दिनांक 25.04.2007 के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशानुसार ग्राम पंचायतों को सम्बन्धित विकास खण्ड अधिकारी व अन्य स्वीकृति एजेन्सी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रदान की गई राशियों के स्वीकृति पत्र उपलब्ध करवाएंगी ताकि अंकेक्षण के समय सुनिश्चित किया जा सके कि धन राशि सम्बन्धित स्कीम पर ही खर्च की जा रही है”। किन्तु अंकेक्षण के दौरान अनुदान आदेश/स्वीकृति पत्र अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत नहीं किये गए।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 122/2025 दिनांक 28.06.2025 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में पत्र संख्या 17/2025 दिनांक 04.07.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नहीं हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है। यह एक अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का

प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे एवं प्राप्त अनुदान राशि सम्बन्धित स्कीम पर खर्च की गई थी अथवा नहीं।

अतः उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त यह प्रकरण उक्त दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाने हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ लाया जाता है।

7. पंचायत राजस्व

7.1 पंचायत का गृहकर/ सम्पत्ति कर राशि ₹0.01 लाख वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट) नियम 2002 के नियम 34 (2) के प्रावधानानुसार पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय (Outstanding) नहीं रखी जाएगी।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अध्याचना संख्या 123/2025 दिनांक 03.07.2025 के प्रतिउत्तर में सलग्न **परिशिष्ट-2** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन तथा अभिलेखों की जांच करने पर पाया गया कि दिनांक 31.03.2025 तक पंचायत का गृहकर/सम्पत्तिकर **राशि ₹1100.00** वसूली हेतु शेष थी।

अतः उक्त उल्लेखित नियम प्रावधान की अनुपालना में सम्पत्तिकर बकाया राशि के कारणों से अवगत करवाते हुए गृहकर की राशि की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹0.01 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाना:-

हिमाचल प्रदेश सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अनुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित आय लेखा शीर्ष 0070-60-108-01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई **राशि ₹1200/-** को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था जिसका विवरण सलग्न **परिशिष्ट-3** में दिया गया है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 123/2025 दिनांक 03.07.2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 17/2025 दिनांक 04.07.2025 द्वारा स्पष्ट किया कि "उक्त पत्र में वर्णित विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹1200/- जिसे राजकीय कोष में जमा करवाकर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा"।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि के जमा व इन्द्राज सम्बन्धी अभिलेख से अंकेक्षण को भी शीघ्र अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

8. व्यय

8.1 खनन सामग्री के समर्थन में ट्रांजिट पास फॉर्म प्राप्त किए बिना राशि ₹3.37 लाख का अनियमित भुगतान करना :-

"हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास "फार्म डब्ल्यू" या सप्लीमेंटरी पास "फार्म एक्स" उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा। परन्तु निदेशक, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या एक्स ई.एन. (आर.डी.एवं पी. आर.)-डी.बी. जनरल/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय हि० प्र० के आदेशों की अनुपालना में अब ठेकेदार / विक्रेता से खनन सामग्री की आपूर्ति पर रॉयल्टी की कटौती नहीं की जाएगी तथा भुगतान उनके द्वारा फार्म 'एक्स' या 'डब्ल्यू' प्रस्तुत करने पर ही किया जाएगा"।

अंकेक्षण अवधि 04/2024 से 03/2025 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निर्माण सामग्री रेत, बजरी व पत्थर इत्यादि के बिलों के साथ उक्त फार्म सलग्न नहीं थे। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को **परिशिष्ट- 4** अनुसार राशि ₹337278.00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 123/2025 दिनांक 03.07.2025 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 17/2025 दिनांक 04.07.2025 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि नियमों की जानकारी न होने के कारण उक्त ट्रांजिट पास फार्म डब्ल्यू या सप्लीमेंटरी पास फार्म एक्स सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता से नहीं लिए गए हैं, जिन्हें भविष्य में नियमानुसार लेकर ही भुगतान किया जाएगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ट्रांजिट पास की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को किया गया सम्पूर्ण भुगतान नियमों के विपरीत एवं अनियमित प्रतीत होता है।

अतः उक्त राशि के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अथवा इस प्रकरण को सम्बन्धित जिला खनन अधिकारी से उठाते हुये तदनुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8.2 संविदाकार / आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से नियमानुसार स्त्रोत पर जी. एस. टी. टी. डी.एस. की कटौती न करने के कारण ₹0.37 लाख का अधिक भुगतान करना :-

“हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि.प्र. आबकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part(278/25)-29056 दिनांक 29/09/2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति / फर्म / संस्था / स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local authority / Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एकल अनुबंध के अन्तर्गत ₹250000 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1% सी.जी.एस.टी. +1% एस.जी.एस.टी.-अन्तर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% आई.जी.एस.टी.-अन्तर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में आपूर्तिकर्ताओं को सामग्री की आपूर्ति सलग्र **परिशिष्ट- 5** अनुसार राशि **₹1873065.00** (जी.एस.टी. को छोड़कर) का भुगतान किया गया था। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा स्त्रोत पर राशि **₹37461.30** की 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में कटौती नहीं की गई थी जोकि नियमानुसार अनुचित होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 123/2025 दिनांक 03.07.2025 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 17/2025 दिनांक 04.07.2025 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि “उक्त पत्र में वर्णित आपूर्तिकर्ताओं से नियमानुसार बनती जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती बिलों से नहीं की गई है, जिसे भविष्य में नियमानुसार काटकर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः जी.एस.टी.(टी.डी.एस.). की कटौती न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अथवा इस प्रकरण को सम्बन्धित विभाग से उठाते हुये तदनुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा नियमानुसार देय अपेक्षित राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

9.1 पत्थर की खरीद में रिक्तियां (voids) की कटौती न करने के कारण ₹0.04 लाख का अधिक भुगतान करना:-

हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के भवनों एवं सड़कों के लिए सामग्री सम्बन्धी अध्याय-2 के पैरा 2.1.2.13 के अनुसार बजरी की आपूर्ति पर 6 एम.एम. से लेकर 20 एम.एम. तक 5% व 25 एम.एम. से लेकर 40 एम.एम. तक 10% तथा पत्थरों की आपूर्ति पर 63 एम.एम. से लेकर 75 एम.एम. तक 12.5% की दर से रिक्तियों (Voids) की कटौती उपरान्त भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा पत्थरों (stones) की खरीद हेतु सलग्न **परिशिष्ट-6** अनुसार राशि ₹31147.00 का कुल भुगतान किया गया, लेकिन आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने से पूर्व रिक्तियां (Voids) की कटौती न करने के कारण **राशि ₹3893.38** का अधिक भुगतान किया गया था।

ग्राम पंचायत द्वारा अधिक भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अध्यायचना संख्या 123/2025 दिनांक 03.07.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया, जिसकी अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र 17/2025 दिनांक 04.07.2025 द्वारा स्पष्ट किया कि उक्त पत्र में वर्णित पत्थर (stone) की खरीद पर रिक्तियों (voids) की कटौती नहीं की गई है, लेकिन इसके भुगतान की वसूली करने उपरान्त पंचायत निधि में जमा करवा दिया जायेगा।

अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत उक्त रिक्तियां (voids) की कटौती न करने के फलस्वरूप की गई अधिक भुगतान राशि के जमा व इन्द्राज सम्बन्धी अभिलेख से अंकेक्षण को शीघ्र अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

9.2 मनरेगा शीर्ष के अंतर्गत करवाए गये निर्माण कार्य हेतु जारी सामग्री के उचित लेखांकन के अभाव में राशि ₹0.05 लाख का अनियमित/अधिक भुगतान करना:-

“हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 44 व 76 के प्रावधानानुसार ग्राम पंचायत के प्रधान और सम्बद्ध सचिव द्वारा निधि से व्यय उपगत या प्राधिकृत करते समय वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों को प्रत्येक स्तर पर कड़ी मितव्ययिता के साथ अनुपालन करेंगे तथा संबद्ध पंचायत सचिव किसी भी अति संदाय / अधिक भुगतान की वसूली करने हेतु उत्तरदायी होगा।

अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि सलग्न **परिशिष्ट-7** अनुसार **राशि ₹4858.00** का रेत, के रूप में ग्राम पंचायत द्वारा अधिक भुगतान किया गया था।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 123/2025 दिनांक 03.07.2025 के प्रत्युत्तर सचिव द्वारा पत्र संख्या 17/2025 दिनांक 04.07.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त अधिक भुगतान की वसूली करके आगामी अंकेक्षण में अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत किये गए अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित से करके अंकेक्षण में अपेक्षित अभिलेख सत्यापनार्थ प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये तथा ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति पर अंकुश लगाने हेतु निर्माण कार्यों की नमूना जांच एवं सत्यापन नियमानुसार उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा की जानी सुनिश्चित की जाए।

9.3 राशि ₹34.02 लाख के व्यय के समर्थन में माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को वांछित सुसंगत अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेवार होगा।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित मास 10/2024 में सलग्न **परिशिष्ट-8** अनुसार कार्यों हेतु प्रयोग की गई सामग्री के लिए बिलों के अन्तर्गत राशि **₹3402000.00** का भुगतान किया गया था, जिसके सन्दर्भ में अध्याचना संख्या 123/2025 दिनांक 03.07.2025 द्वारा समर्थित अभिलेख सत्यापन हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की गई, लेकिन अंकेक्षण समाप्ति तक माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

सचिव द्वारा पत्र 17/2025 दिनांक 04.07.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त पत्र में वर्णित माप पुस्तिकाओं को अगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा। नियमानुसार अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करना गम्भीर आपत्तिजनक है। परिणामस्वरूप किए गए कार्य के मूल्यांकन की जांच नहीं हो सकी।

अतः अंकेक्षण के दौरान अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न कर पाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 101(2)(iii) की अनुपालना सहित अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाए।

9.4 मनरेगा शीर्ष व 15वें वित्तायोग शीर्ष के अंतर्गत करवाए गये निर्माण कार्य हेतु राशि ₹0.02 लाख का अधिक भुगतान करना:-

“हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 44 व 76 के प्रावधानानुसार ग्राम पंचायत के प्रधान और सम्बद्ध सचिव द्वारा निधि से व्यय उपगत या प्राधिकृत करते समय वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों को प्रत्येक स्तर पर कड़ी मितव्ययिता

के साथ अनुपालन करेंगे तथा संबद्ध पंचायत सचिव किसी भी अति संदाय / अधिक भुगतान की वसूली करने हेतु उत्तरदायी होगा।

अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि राशि ₹2040.00 का पेवर ब्लॉक के रूप में ग्राम पंचायत द्वारा माप पुस्तिका में दर्ज मात्रा से अधिक मात्रा में भुगतान किया गया था।

निर्माण कार्य का नाम :- निर्माण रास्ता बौड़ी से गाँव की ओर, गाँव ठों।				
निधि का नाम -मनरेगा				
स्वीकृत राशि -1,20,000/-				
कुल खर्च राशि - 1,17,000/-				
मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	मद का नाम	मात्रा (घन मीटर)	रूपांतरण कारक	पेवर ब्लॉक (₹)
MB-227 58,59	पेवर ब्लॉक	90.40	35	3164
कुल योग				3164
बिल संख्या-1708 के अनुसार कार्य हेतु जारी / खपत मात्रा				3300
अधिक खपत / जारी निर्माण सामग्री				136
क्रय दर				15
अधिक भुगतान राशि				2040
कुल योग				2040.00

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 123/2025 दिनांक 03.07.2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 17/2025 दिनांक 04.07.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त अधिक भुगतान की वसूली करके आगामी अंकेक्षण में अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत किये गए अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित से करके अंकेक्षण में अपेक्षित अभिलेख सत्यापनार्थ प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये तथा ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति पर अंकुश लगाने हेतु निर्माण कार्यों की नमूना जांच एवं सत्यापन नियमानुसार उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा की जानी सुनिश्चित की जाए।

9.5 निविदाओं में निर्धारित दर से अधिक दर द्वारा राशि ₹0.14 लाख का अधिक भुगतान करना:-

“हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 44 व 76 के प्रावधानानुसार ग्राम पंचायत के प्रधान और सम्बद्ध सचिव द्वारा निधि से व्यय उपगत या प्राधिकृत करते समय वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों को प्रत्येक स्तर पर कड़ी मितव्ययिता

के साथ अनुपालन करेंगे तथा संबद्ध पंचायत सचिव किसी भी अति संदाय / अधिक भुगतान की वसूली करने हेतु उत्तरदायी होगा"।

अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 के दौरान पंचायत द्वारा मनरेगा शीर्ष के अंतर्गत विभिन्न निर्माण कार्य हेतु निम्न विवरणानुसार अधिक भुगतान किया गया था:-

1. **निर्माण कार्य साइक्लोन शेल्टर, गाँव गुडविन** के लिए बाउचर संख्या 1080,1081 व 1091 द्वारा लोहे के सामान के क्रय हेतु ढुलाई व मजदूरी के रूप में राशि **₹2600.00** का अधिक भुगतान किया गया था जबकि चयनित/निर्धारित निविदाओं की जांच में पाया गया कि ढुलाई व मजदूरी की भुगतान राशि लोहे के सामान की क्रय मूल्य में ही सम्मिलित थी।
2. **निर्माण कार्य बौड़ी रास्ता ठों, निर्माण कार्य अमृत सरोवर गाँव ब्राहलड़ी**, के लिए बाउचर संख्या 1377, 1378, 1240 द्वारा पेवर ब्लॉक के क्रय हेतु किराया व मजदूरी के रूप में राशि **₹11530.00** का अधिक भुगतान किया गया था जबकि चयनित/निर्धारित निविदाओं की जांच में पाया गया कि किराया व मजदूरी की भुगतान राशि पेवर ब्लॉक के क्रय मूल्य में ही सम्मिलित होने तथा निविदाओं में कहीं भी अलग से मांग/भुगतान करने का जिक्र न होने के कारण कुल राशि **₹14130.00** (2600+11530) का गलत व अनुचित भुगतान किया गया प्रतीत होता है।

इस संदर्भ में अंकेक्षण अध्याचना संख्या 123/2025 दिनांक 03/07/2025 द्वारा यह प्रकरण सचिव के ध्यानार्थ लाया गया, जिसकी अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र संख्या 17/2025 दिनांक 04.07.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि अधिक भुगतान की वसूली करके आगामी अंकेक्षण में अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा निविदाओं में निर्धारित दर से अधिक दर में भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित से करके अंकेक्षण में अपेक्षित अभिलेख सत्यापनार्थ प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये और ऐसे अनुचित भुगतानों पर अंकुश लगाने हेतु ठोस कदम उठाए जाये।

10 **विहित रजिस्ट्रों का रख-रखाव न करना :-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख / रजिस्ट्रों का अनुसरण करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न अभिलेख/रजिस्ट्रों का रख-रखाव नहीं किया गया था, इस प्रकार लेखांकन प्रक्रिया में पूर्णता एवं पारदर्शिता के अभाव में किसी भी स्तर पर धन एवं सामग्री के रिसन (leakage) दुर्विनियोजन अथवा दुरुपयोग की सम्भावना से अंकेक्षण में इनकार नहीं किया जा सकता है, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002			
क्रम संख्या	रजिस्टर / अभिलेख	प्रारूप संख्या	संदर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12 (1)
2	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33
4	बजट प्राकलन रजिस्टर	11	37
5	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
6	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
7	गत अंकेक्षण प्रतिवेदनो से सम्बंधित अभिलेख का रजिस्टर	30	89
8	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
9	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर	--	101 (2) (v)
10	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	--	103
हि० प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997			
1	रसीद बुक स्टॉक रजिस्टर	2	34
2	विकास कार्य निष्पादन रजिस्टर	7	34
3	अनुदान रजिस्टर	8	34
4	अचल संपत्ति रजिस्टर	11	34

अंकेक्षण अध्याचना संख्या 122/2025 दिनांक 28.06.2025 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत को सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए आग्रह किया गया, जिसके प्रतिउत्तर में, सचिव द्वारा अपने पत्र 17/2025 दिनांक 04.07.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्ट्रों / अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में सभी रजिस्ट्रों को तैयार करके आगामी अंकेक्षण में अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर सभी रजिस्ट्रों को नियमानुसार संधारित करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

11 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के स्टोर/स्टॉक का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया था, जिसके बिना वाउचर/बिल के तहत खरीदी गई सामग्री की तिथि विशेष को भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका।

अंकेक्षण अध्याचना संख्या 122/2025 दिनांक 28.06.2025 की अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र संख्या 17/2025 दिनांक 04.07.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण अवधि

01/04/2024 से 31/03/2025 तक स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है जिसे भविष्य में नियमानुसार सत्यापित करवा लिया जायेगा। प्रस्तुत उतर तथ्य रहित होने के कारण मान्य नहीं है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये गए स्टोर / स्टॉक के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरुपयोग की संभावना से अंकेक्षण में इनकार नहीं किया जा सकता।

अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि नियमानुसार अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाकर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

- 12 **लघु आपत्ति विवरणिका:-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया है अपितु समय-2 पर चर्चा के दौरान सभी पहलुओं/नियम प्रावधानों पर प्रकाश डालते हुये छोटी -2 आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।
- 13 **निष्कर्ष:-** लेखों में सुधार और ठोस कदम उठाने की नितान्त आवश्यकता है।

01 OCT 2025

का.०/उ.सि

6311-6315

(श्रीराम सुनील)

सहायक निदेशक

हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग

शिमला-171009

फोन नं0 0177-2620046

पृष्ठांकन संख्या:- फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(6)62/2018 खण्ड-1 दिनांक शिमला-09

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- 2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला-4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
- 3 जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0।
- 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0।
- 5 पंजीकृत सचिव, ग्राम पंचायत ब्राहलडी, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर हि0प्र0-177026 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(श्रीराम सुनील)

सहायक निदेशक

हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग

शिमला-171009

फोन नं0 0177-2620046

परिशिष्ट "1" पैरा संख्या "4" में संदर्भित						
ग्राम पंचायत ब्राहलड़ी, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश						
दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक की संकलित वित्तीय स्थिति (1+2)						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	2012859.65	5672739.70	7685599.35	5448096.70	2237502.65


 Panchayat Secretary
 Gram Panchayat . Bahlauri
 Dev. Block . Hamirpur
 Distt. Hamirpur H.P.

परिशिष्ट 1.1 पैरा संख्या 4 में संदर्भित

ग्राम पंचायत ब्राहलड़ी, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश, 177026						
वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक						
1. स्वयं स्रोत व अनुदान 15वां वित्तायोग सहित (समेकित) ऑनलाइन की वित्तीय स्थिति:-						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	2012859.65	2705282.00	4718141.65	2480639.00	2237502.65

1 (i) स्वयं स्रोत व अनुदान (समेकित)(15वां वित्तायोग के अतिरिक्त) ऑनलाइन की वित्तीय स्थिति:-						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	1183047.35	1298906.00	2481953.35	1583930.00	898023.35

1 (ii) 15वां वित्तायोग ऑनलाइन की वित्तीय स्थिति:-						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	829812.30	1406376.00	2236188.30	896709.00	1339479.30

2) मनरेगा ऑनलाइन की वित्तीय स्थिति:-						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	0.00	2967457.70	2967457.70	2967457.70	0.00


 Panchayat Secretary
 Gram Panchayat ...
 Dev. Bloc ...
 Distt. Hamirpur H.P.

परिशिष्ट 1.2 पैरा संख्या 4 में संदर्भित

ग्राम पंचायत ब्राह्मली, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश, 177026

दिनांक 31.03.25 को बैंक का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)	
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान	कंगडा केंद्रीय सहकारी सीमित बैंक नाल्टी	20005047081	103952.00	897223.35
2	स्व: स्त्रोत व अनुदान	पंजाब नेशनल बैंक नाल्टी	208300010001545	303477.63	
3	स्व: स्त्रोत व अनुदान	पंजाब नेशनल बैंक नाल्टी	2083000101058879	489793.72	
5	15 वें वित्तियोग	एच डी एफ सी बैंक हमीरपुर	50100319721837		1339479.30
कुल योग					2236702.65

Secretary
Gram Panchayat
Dev. Block
Distt. Hamirpur (H.P.)

21

Sl. No.	Particulars	Debit	Credit	Balance
1	By Balance b/d		1000	1000
2	To Cash	500		500
3	To Bank	300		200
4	To Debtors	200		0
5	To Creditors		1000	1000
6	By Cash	1000		0
7	To Bank		500	500
8	To Debtors		300	800
9	To Creditors		200	1000
10	By Cash	1000		0
11	To Bank		1000	1000
12	To Debtors		500	1500
13	To Creditors		300	1800
14	By Cash	1800		0
15	To Bank		1000	1000
16	To Debtors		500	1500
17	To Creditors		300	1800
18	By Cash	1800		0
19	To Bank		1000	1000
20	To Debtors		500	1500
21	To Creditors		300	1800
22	By Cash	1800		0
23	To Bank		1000	1000
24	To Debtors		500	1500
25	To Creditors		300	1800
26	By Cash	1800		0
27	To Bank		1000	1000
28	To Debtors		500	1500
29	To Creditors		300	1800
30	By Cash	1800		0
31	To Bank		1000	1000
32	To Debtors		500	1500
33	To Creditors		300	1800
34	By Cash	1800		0
35	To Bank		1000	1000
36	To Debtors		500	1500
37	To Creditors		300	1800
38	By Cash	1800		0
39	To Bank		1000	1000
40	To Debtors		500	1500
41	To Creditors		300	1800
42	By Cash	1800		0
43	To Bank		1000	1000
44	To Debtors		500	1500
45	To Creditors		300	1800
46	By Cash	1800		0
47	To Bank		1000	1000
48	To Debtors		500	1500
49	To Creditors		300	1800
50	By Cash	1800		0
51	To Bank		1000	1000
52	To Debtors		500	1500
53	To Creditors		300	1800
54	By Cash	1800		0
55	To Bank		1000	1000
56	To Debtors		500	1500
57	To Creditors		300	1800
58	By Cash	1800		0
59	To Bank		1000	1000
60	To Debtors		500	1500
61	To Creditors		300	1800
62	By Cash	1800		0
63	To Bank		1000	1000
64	To Debtors		500	1500
65	To Creditors		300	1800
66	By Cash	1800		0
67	To Bank		1000	1000
68	To Debtors		500	1500
69	To Creditors		300	1800
70	By Cash	1800		0
71	To Bank		1000	1000
72	To Debtors		500	1500
73	To Creditors		300	1800
74	By Cash	1800		0
75	To Bank		1000	1000
76	To Debtors		500	1500
77	To Creditors		300	1800
78	By Cash	1800		0
79	To Bank		1000	1000
80	To Debtors		500	1500
81	To Creditors		300	1800
82	By Cash	1800		0
83	To Bank		1000	1000
84	To Debtors		500	1500
85	To Creditors		300	1800
86	By Cash	1800		0
87	To Bank		1000	1000
88	To Debtors		500	1500
89	To Creditors		300	1800
90	By Cash	1800		0
91	To Bank		1000	1000
92	To Debtors		500	1500
93	To Creditors		300	1800
94	By Cash	1800		0
95	To Bank		1000	1000
96	To Debtors		500	1500
97	To Creditors		300	1800
98	By Cash	1800		0
99	To Bank		1000	1000
100	To Debtors		500	1500
101	To Creditors		300	1800
102	By Cash	1800		0
103	To Bank		1000	1000
104	To Debtors		500	1500
105	To Creditors		300	1800
106	By Cash	1800		0
107	To Bank		1000	1000
108	To Debtors		500	1500
109	To Creditors		300	1800
110	By Cash	1800		0
111	To Bank		1000	1000
112	To Debtors		500	1500
113	To Creditors		300	1800
114	By Cash	1800		0
115	To Bank		1000	1000
116	To Debtors		500	1500
117	To Creditors		300	1800
118	By Cash	1800		0
119	To Bank		1000	1000
120	To Debtors		500	1500
121	To Creditors		300	1800
122	By Cash	1800		0
123	To Bank		1000	1000
124	To Debtors		500	1500
125	To Creditors		300	1800
126	By Cash	1800		0
127	To Bank		1000	1000
128	To Debtors		500	1500
129	To Creditors		300	1800
130	By Cash	1800		0
131	To Bank		1000	1000
132	To Debtors		500	1500
133	To Creditors		300	1800
134	By Cash	1800		0
135	To Bank		1000	1000
136	To Debtors		500	1500
137	To Creditors		300	1800
138	By Cash	1800		0
139	To Bank		1000	1000
140	To Debtors		500	1500
141	To Creditors		300	1800
142	By Cash	1800		0
143	To Bank		1000	1000
144	To Debtors		500	1500
145	To Creditors		300	1800
146	By Cash	1800		0
147	To Bank		1000	1000
148	To Debtors		500	1500
149	To Creditors		300	1800
150	By Cash	1800		0

Handwritten signature and date.

परिशिष्ट 1.3 पैरा संख्या 4 में संदर्भित		
ग्राम पंचायत ब्राह्मली, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश, 177026		
दिनांक 31.03.2025 को वित्तीय स्थिति का अंत शेष		
1	दिनांक 31.03.2025 को रोकड़ बहियों का अंतिम शेष	2237502.65
2	दिनांक 31.03.25 को बैंक खातों का अंतिम शेष	2236702.65
अन्तर		800
दिनांक 31.03.2025 को बैंक समाधान विवरणी		
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समर्पित) को रोकड़ बहों का दिनांक 31.03.2025 को अंतिम शेष	898023.35
2	15वें वितायोग को रोकड़ बहों का दिनांक 31.03.2025 को अंतिम शेष	1339479.30
3	दिनांक 31.03.2025 को रोकड़ बहियों का कुल अंतिम शेष	2237502.65
4	दिनांक 31.03.2025 को हस्तगत राशि (घटाव)	800.00
6	दिनांक 31.03.2025 को रोकड़ बहियों का शुद्ध अंतिम शेष	2236702.65
7	दिनांक 31.03.25 को बैंक खातों का अंतिम शेष	2236702.65
अंतर		0.00


 Panchayat Secretary
 Gram Panchayat Barmali
 Dev. Block ... Hamirpur
 Distt. Hamirpur (H.P.)

परिशिष्ट 2 पैरा संख्या 7.1 में संदर्भित							
ग्राम पंचायत ब्रालहडी, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर							
(01.04.2024 से 31.03.2025)							
दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक गृह कर की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-							
वर्ष	प्रारम्भिक शेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2024-2025	0	689	100	68900	68900	67800.00	1100.00


 Panchayat Secretary
 Gram Panchayat, Bhalahdi
 Dev. Block, Hamirpur
 Distt. Hamirpur H.P.

परिशिष्ट 3 पैरा संख्या 7.2 में संदर्भित							
ग्राम पंचायत ब्रालहडी, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर, 177026							
(विवाह पंजीकरण सूचि) (01.04.2024 से 31.03.2025)							
क्रम संख्या	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	रसीद संख्या	देय राशी (₹)	प्राप्त राशी (₹)	बकाया राशी (₹)
1	जाधन d/o बुधमन विलल टिकर	14.02.24	01.04.24	73593	400	400	0
2	आकाश शर्मा s/o परशोतम दास	14.04.24	22.05.24	73599	400	400	0
3	रतन सिंह s/o जय सिंह	08.12.88	27.05.24	14731	400	400	0
Total					1200	1200	0


 Panchayat Secretary
 Gram Panchayat
 Dev. Block
 Distt. Hamirpur (H.P.)

24

परिशिष्ट 4 पैरा संख्या 8.1 में संदर्भित

ग्राम पंचायत ब्रालहडी, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर

आपूर्तिकर्ताओं से क्रय की गई निर्माण सामग्री के ट्रांजिट फॉर्म प्राप्त किये बिना भुगतान करना
(01.04.2024 से 31.03.2025)

क्रम संख्या	शीर्ष	कार्य का नाम	वाउचर संख्या	आपूर्तिकर्ता का नाम	सामान	मात्रा	राशि (₹)
1	MNREGA	mokash Dham vill Bahlari	85 dt 10/09/2024	Kashmir singh, VPO Dudhana Lohiyan Galore , Hamirpur	Agg. Sand	8	9792.00
2	MNREGA	c/o compound wall patwar ghar Bahlari	78 dt 03/06/2024		Agg. Sand	21.5	25500.00
			86 dt 10/09/2024		Agg. Sand	5.5	33944.00
			76 dt 21/06/2024		Agg. Sand	12.5	15587.00
			3		MNREGA	c/o Rasta and drain from sarak se tikkar ki aur	89 dt 18/09/2024
4	MGREGA	c/o Rasta vishan dass ke ghar se bouri tak vill than	71 dt 14/01/2024		sand	10.5	9792.00
5	MNREGA	R/wall near the h/o Joginder singh vill dudhana ghirthan	84 dt 27/06/2024		Agg. Sand	13	15887.00
6	MNREGA	c/o Rasta rival chand h/o to bhagwan dass vill dudhana lohiyan	70 dt 05/12/2023		sand	10	12160.00
7	MNREGA	C/O S/MARG kashmir singh to vill dudhana lohiyan	88 dt 18/09/2024		Agg. Sand	5	17285.00
			860 dt 28/01/2024		Agg. Sand	55	55812.00
8	MNREGA	C/o wire create in the land of sushma devi vill dudhaana	793 16.07.23	Boulder	26	17600.00	
8	GIA Planning	c/o court yard dispensary brahlari	116 dt 10/01/2025	Agg. Sand	15	17560.00	
		court yard G.H.S. Bahlari	91 dt 20/10/2024	Agg . Sand . Boulder	67	65458.00	
		c/o sarain bhawan dudhana lohiyan	83 dt 24/09/2024	Agg.sand	30	35311.00	
Total							337278.00

25

Gram Panch
Dev. Dist.
Distt. Hamirpur

Bahlari
Hamirpur

परिशिष्ट 5 पैरा संख्या 8.2 में संदर्भित

ग्राम पंचायत बालहडी, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर

(जी.एस.टी.टी.डी.एस.) की वसूली न करने वाले (01.04.2024 से 31.03.2025)

क्रम संख्या	वर्ष	फर्म / व्यक्ति का नाम	क्रय सामान का विवरण	कुल राशि (₹)	जी.एस.टी.(टी.डी.एस.) की कटौती राशि (₹)
1	01-04-2024 to 31-03-2025	Ashwani kumar, vill Ropa, PO Nalti, Hamirpur	Bricks, Agg. Sand etc	382099.00	7641.98
2		Guruji Tiles works, vill Patta, PO chammed, Hamirpur	Paver Blocks	391832.00	7836.64
3		Kashmir singh, VPO Dudhana Lohiyan Galore , Hamirpur	Agg. Sand	402022.00	8040.44
4		M/S Thakur Traders, vill budhwin, PO galore, Hamirpur	Pipe steel etc	697112.00	13942.24
Total				1873065.00	37461.30

Panchayat Secretary
Gram Panchayat .. Balhadi
Dev. Block .. Hamirpur
Distt. Hamirpur H.P.)

26

परिशिष्ट 6 पैरा संख्या 9.1 में संदर्भित

ग्राम पंचायत बालहडी, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर

पथर की खरीद पर रिक्तियों (voids) की कटौती न करना

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	कार्य का नाम	वाउचर संख्या	फार्म का नाम एवं पता	सामान का विवरण	मात्रा वर्ग मीटर	कुल भुगतान (₹)	रिक्तियां (Voids) (₹)
1	MNREGA	wire create in the land of sushma devi	793,823t 23/10/2023	Neelkanth udyog, vill ropa, nalti, Hamirpur	Boulder	26	17600.00	2200.00
2	GIA Planning	court yard G.H.S. Brahlari	91 dt 20/10/2024	Kashmir singh, VPO Dudhana Lohiyan Galore, Hamirpur	Boulder	23	13547.00	1693.38
Total							31147.00	3893.38


Panchayat Secretary
Gram Panchayat
Dev. Bloc,
Distt. Hamirpur H.P.

27

2/11/19

inches
supernova

14

परिशिष्ट 7 पैरा संख्या 9.2 में संदर्भित				
ग्राम पंचायत ब्रालहडी, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर				
1. निर्माण कार्य का नाम :- निर्माण रास्ता बलदेव के घर से मंदिर की ओर।				
निधि का नाम - मनरेगा				
स्वीकृत राशि - 300000/-				
कुल खर्च राशि - 200000/-				
मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	मद का नाम	मात्रा (घन मीटर)	रूपांतरण कारक	रेत (घन मीटर)
MB-227 7,10 11, 12	1:5:10=4.40	12.9	0.47	12.26
	1:3:6=2.70			
	1:2:4=5.8	124	0.050	
	पेवर ब्लॉक			
कुल योग				12.26
बिल संख्या-76, 986 के अनुसार कार्य हेतु जारी / खपत मात्रा				16
अधिक खपत / जारी निर्माण सामग्री				3.74
क्रय दर				1299
अधिक भुगतान राशि				4858.26
कुल योग				4858.00


 Panchayat Secretary
 Gram Panchayat, Brehla
 Dev. Block, Hamirpur
 Distt. Hamirpur (H.P.)

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

परिशिष्ट 8 पैरा संख्या 9.3 में संदर्भित

ग्राम पंचायत ब्रालहडी, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर

माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	कार्य का नाम	राशि (₹)
1	MNREGA	C/o Upgradation of Mokash Dham vill Tikkar	2600000.00
2	MNREGA	C/o S/ marg kashmir singh ke ghar se gamb ki aur vill dudhana lohiyan	492000.00
2	Own Source & GIA (Planning)	court yard G.H.S. Bahlari	310000.00
Total			3402000.00


 Panchayat Secretary
 Gram Panchayat .. Bahlari
 Dev. Block .. Hamirpur
 Distt. Hamirpur H.P.)

